



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 15-05-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा शहर क्षेत्र का किया गया भ्रमण, यातायात व्यवस्था हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- पुलिस आयुक्त द्वारा शहर क्षेत्र का भ्रमण कर यातायात संचालन का किया गया निरीक्षण
- यातायात व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत की गयी व्यवस्था का हो कड़ाई से अनुपालन।

आज दिनांक 15.05.2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों यथा- कचहरी गोलघर चौराहा, पुलिस लाईन चौराहा, चौकाघाट, गोलगड्डा तिराहा, भदऊ चुंगी, मैदागिन चौराहा, लहुराबीर चौराहा आदि पर यातायात संचालन व्यवस्था का निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारियों को सुधार हेतु निर्देश दिये गये। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज सुश्री नीतू, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली श्री अमित कुमार पाण्डेय व संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा भ्रमण के दौरान निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

- डीसीपी एवं एडीसीपी सुनिश्चित करायें यातायात कार्ययोजना का अनुपालन
- थाना प्रभारीगण भी यातायात व्यवस्था में निभायें प्रभावी सहभागिता
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर हो सख्त कार्यवाही
- शव वाहनों हेतु बनायी गयी कार्ययोजना का हो अनुपालन

1. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य मार्गों पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग न होने दिया जाये जिससे कि अनावश्यक रूप से यातायात बाधित हो ।
2. सुगम यातायात के दृष्टिगत पार्किंग स्थल का निर्धारण एवं अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाये ।
3. बेहतर यातायात प्रबन्धन के साथ-साथ लोग यातायात के नियमों का पालन करें यह सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
4. यातायात डायवर्जन का कड़ाई से पालन कराया जाये जिससे कि किसी एक स्थान पर ज्यादा ट्रैफिक न हो ।
5. शव वाहनों हेतु बनायी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो । शव वाहन के साथ आ रहे लोगों को संयम एवं सद्भाव पूर्वक व्यवस्था के सम्बन्ध में बताया जाये ।
6. जाम लगने के प्रमुख स्थानों पर अधिकारीगण स्वयं जाकर यातायात में अवरोध बन रहे कारकों को चिन्हित कर निराकरण करायें ।
7. पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त द्वारा भ्रमण कर पूर्व में यातायात हेतु बनायी गयी कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित करायें ।
8. जाम लगने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने थाने के पुलिस बल के साथ यातायात कर्मियों का सहयोग करते हुए जाम का निराकरण करायें ।
9. यातायात के नियमों का उल्लंघन कर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध प्रभावी/सख्त कार्यवाही की जाये ।
10. ड्यूटी के दौरान जनता से दुर्व्यवहार न किया जाये एवं अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक निर्वहन किया जाये ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।